संख्याः 03 /XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग –3 देहरादून दिनॉक 26 अगस्त, 2005

विषयः सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के पत्र संख्या एस0एस0जी0के0/ एडम/05/1071 दिनॉक 11–8–2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 453/ XXIV–2 / 2005 दिनॉक 11–3–2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु अनुमोदित लागत रू0 233.00 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 78.50 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 154.50 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या 630/ XXIV–2/2005 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू0 175.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्रविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृकित की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9)— यदि स्वीकृति राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

2— प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का आहरण तत्काल कोषागार से कर निर्माण कार्य हेतु निर्माण संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण विभाग द्वारा किये गये मानकीकरण के आधार पर ही सम्पन्न किये जायेंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में कोई अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका/ बजट मैन्युवल के अनुसार होगा। निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या प्रत्येक माह के 15 तारीख तक

शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अधीन लेखा शीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा— 02 माध्यमिक शिक्षा — आयोजनागत — 800 — अन्य व्यय — 09 — सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण / संचालन निधि हेतु अनुदान—20 सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता " के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 92 /वित्त अनुभाग—4/2005 दिनाँक 24—8—2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 03 (1)/ XXIV-2/2005 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तराँचल, देहरादून।
2— जिलाधिकारी, नैनीताल।
3— कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4— प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, नैनीताल।
5— जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
6— वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
7— बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
8— परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम,अल्मोड़ा ईकाई।
9— कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)
10— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव